प्रेस विज्ञप्ति
जनपद-संतकबीरनगर
दिनांक 13.07.2025

थाना बखिरा पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए गैर इरादतन हत्या के मामले में वांछित 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी मेंहदावल ***श्री सर्वदवन सिंह*** के निकट पर्यवेक्षण में थाना बखिरा पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0स0 190/2025 धारा 115(2), 352, 351(3), 105 बीएनएस व 3(1)(द), 3(1)(ध), 3(2)(va) व 3(2)(v) एससी एसटी एक्ट में वांछित अभियुक्त नाम पता धर्मेन्द्र यादव पुत्र दीनानाथ यादव साकिन कुसम्हा थाना बखिरा जनपद संत कबीर नगर हाल पता मंझरिया पठान टोला बनकटवा थाना बेलहरकला जनपद संत कबीर नगर को आज दिनाँक 13.07.2025 को दुर्गजोत चौराहे से नियमानुसार गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि वादी द्वारा दिनाँक 21.05.2025 को उपरोक्त अभियुक्त व उसके साथियों द्वारा दिनाँक 18.05.2025 को वादी के भाई व भतीजे को जाति सूचक शब्दो का प्रयोग करते हुए गाली, धमकी देने व लाठी डन्डा लात मुक्का से मारपीट कर गम्भीर रुप से घायल कर देने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र देकर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। वादी के भाई रामसरन की दिनाँक 25.05.2025 को ईलाज के दौरान मृत्यु हो गयी। जिसके उपरान्त अभियोग उपरोक्त में सुसंगत धारा की बढोत्तरी की गयी तथा प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए थाना बखिरा पुलिस द्वारा तत्काल कार्यवाही करते हुए घटना में सम्मिलित एक अन्य अभियुक्त सर्वेश यादव पुत्र गौरीशंकर यादव सा0 कुसम्हामाफी थाना बखिरा जनपद सन्तकबीरनगर को दिनाँक 27.05.2025 को गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय भेजा गया था। आज दिनाँक 13.07.2025 को अभि0 धर्मेन्द्र यादव उपरोक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

धर्मेन्द्र यादव पुत्र दीनानाथ यादव साकिन कुसम्हा थाना बखिरा जनपद संत कबीर नगर हाल पता मंझरिया पठान टोला बनकटवा थाना बेलहरकला जनपद संत कबीर नगर।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- उ0नि0 श्री विनोद कुमार सिंह, हे0का0 अमित सिंह, का0 शैलेन्द्र यादव।

दबिश के दौरान 01 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में जनपद में वांछितों व न्यायालय में हाजिर न होने वाले अभियुक्तों के खिलाफ जारी गैर जमानतीय वारण्ट के तहत फरार चल रहे अभियुक्तों की गिरफ्तारी के क्रम मेः-

थाना धर्मसिंहवा पुलिस द्वारा वारण्टी नाम पता छोटू पुत्र शेषनाथ निवासी बाघापार थाना धर्मसिंहवा जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणः- उ0नि0 श्री अशोक कुमार भारती।

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 11 अभियुक्त गिरफ्तार

- *थाना दुधारा पुलिस द्वारा* 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 04 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
- *थाना महुली पुलिस द्वारा* 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 05 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
- *थाना धर्मसिंहवा पुलिस द्वारा* 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 02 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 6002 द्वारा मार्ग दुर्घटना में घायल 01 व्यक्ति को भेजवाया गया अस्पताल– पीआरवी 6002 को थाना को0 खलीलाबाद क्षेत्रान्तर्गत मीरगंज से कालर द्वारा ट्रक और ट्रेलर में टक्कर होने के कारण दुर्घटना में घायल 01 व्यक्ति (1. राजकुमार पुत्र रामउजागिर ग्राम केसरी थाना गौर जनपद बस्ती) दुर्घटना में घायल होने के सम्बन्ध में सूचना दिया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा त्वरित गति से घटनास्थल पर पहुँचकर में घायल व्यक्ति को ईलाज हेतु 108 एम्बुलेन्स की सहाय्रता से जिला अस्पताल भेजवाया गया। घटना के सम्बन्ध में थाना को0 खलीलाबाद को अवगत कराया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता व सूझबूझ से घटनास्थल पर तत्परता से पहुँचकर घायल को ईलाज हेतु जिला अस्पताल भेजवाया गया। जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गयी।

पीआरवी स्टाफ- मु0आ0 अजीत कुमार, आरक्षी आशीष शुक्ला, आ0चा0 अम्बरीष यादव।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 124 वाहनों से 1,67,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनाँक 13.07.2025 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 124 वाहनों से 1,67,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।